राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ 15(21) सा.सु./नवजीवन/सान्याअवि/16/ ५५७६५-७८६ जयपुर,दिनांक 11/07/16

जिला कलेक्टर
समस्त

विषयः–नवजीवन योजना संचालन दिशा निर्देश–2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत नवजीवन योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। पूर्व में संचालित की जा रही नवजीवन योजना के प्रभावी कियान्वयन हेतु विभाग द्वारा योजना का पुनरीक्षण (Revision) कर नवीन दिशा निर्देश "नवजीवन योजना संचालन दिशा निर्देश 2015" जारी किये गये हैं।

उक्त दिशा निर्देश वित्त(व्यय–2) विभाग की आई.डी संख्या 161600408 दिनांक 05–04–16 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे है। विभाग द्वारा जारी किये गये नवीन दिशा–निर्देश " नवजीवन योजना संचालन दिशा–निर्देश 2015" की प्रति सलंग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही हैं। उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार।

(रवि जैन)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 15(21) सा.सु./नवजीवन/सान्याअवि/16/ ५५७८७–५६०५० जयपुर,दिनांक 11/07/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. सचिव(द्वितीय) माननीय मुख्यमंत्री,
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राज.,जयपुर।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान,जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव.....राजस्थान।
5. आयुक्त आबकारी विभाग, उदयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव(वित्त–व्यय) विभाग/वित्त(आबकारी) शासन सचिवालय, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष.....।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम, जयपुर।
9. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्.....।
10. प्रबन्ध निदेशक, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक/वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि.....
11. संयोजक राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, जयपुर।
12. उप निदेशक/सहायक निदेशक,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....
13. गार्ड फाईल।

(रवि जैन)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

नवजीवन योजना संचालन दिशा–निर्देशः 2015

राजस्थान सरकार अवैध शराब के निर्माण, भण्डारण, विक्रय में लिप्त समुदायों/परिवारों के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से विकास तथा पुनर्वास (यथा आजीविका के वैकल्पिक अवसर/संसाधन उपलब्ध कराना, अशिक्षा को दूर करना एवं उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना) हेतु "नवजीवन योजना संचालन दिशा–निर्देश, 2015" बनाती हैं।

1. संक्षिप्त नाम व प्रभावित क्षेत्रः–

1. ये दिशा–निर्देश "राजस्थान नवजीवन योजना संचालन दिशा–निर्देश, 2015" कहलायेगें।
2. ये दिशा–निर्देश सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होगें।
3. ये दिशा–निर्देश तुरन्त प्रभावशील होंगे।

2. परिभाषाएँः–

क. "राज्य सरकार" से तात्पर्य राजस्थान सरकार से हैं।

ख. "विभाग" से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार से हैं।

ग. "प्रमुख शासन सचिव" से तात्पर्य प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार से हैं।

घ. "निदेशक/आयुक्त" से तात्पर्य निदेशक/आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान से हैं।

ङ. "जिला अधिकारी" से तात्पर्य संबंधित जिले का उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,सान्याअवि से हैं।

च. "नोडल ऑफिसर" नोडल ऑफिसर से तात्पर्य मुख्यावास स्तर पर योजना की कार्यवाही देख रहे प्रभारी अधिकारी से है।

छ. "व्यक्ति" से तात्पर्य जिला कार्यकारी समिति द्वारा चिन्हित व्यक्ति/नियम 3 (ii) में वर्णित समुदायो के व्यक्ति से हैं।

ज. "परिवार" से तात्पर्य जिला कार्यकारी समिति द्वारा नियम 3 (i) में वर्णित समुदायों के चिन्हित परिवार से हैं।

झ. "समुदाय" से तात्पर्य दिशा–निर्देश 3 (ii) में उल्लेखित समुदाय से हैं।

ञ. "जिला कार्यकारी समिति" से तात्पर्य दिशा–निर्देश 5 के अन्तर्गत जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति से हैं।

ट. "स्वयंसेवी संस्था" से तात्पर्य उस संस्था से है जो नवजीवन योजना दिशा–निर्देश–6, 7, 8 एवं 14 के अन्तर्गत हों।

ठ. "प्रेरक" से तात्पर्य जिला कार्यकारी समिति द्वारा योजनान्तर्गत सम्मिलित समुदाय/परिवार के चयनित व्यक्ति से हैं। जो स्वंय सेवी संस्था के माध्यम से प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। प्रेरक उसी बस्ती/वास स्थान का होगा, यदि पात्र प्रेरक उसी बस्ती/वास स्थान पर उपलब्ध नहीं हो, तो वह निकट .स्थान का निवासी हो जहां सर्वे एवं अन्य कार्य करेगा।

3. योजना हेतु पात्रताः–

1. ऐसे व्यक्ति/परिवार जो अवैध शराब के निर्माण, भण्डारण, विक्रय में लिप्त है, तथा जो जिला कार्यकारी समिति द्वारा चिन्हित हों।
2. कंजर, सांसी, भाट, भाण्ड, नट, राणा, डोम, ढोली, मोगिया (मोग्या), बाबरिया, बेड़िया, बागरिया, सिरकीवाला, चौबदार समुदायों के व्यक्ति।

4. राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समितिः–

राज्य स्तर पर नवजीवन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :–

1.	मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव (वित्त)	सदस्य
3.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव (गृह)	सदस्य
4.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।	सदस्य
5.	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
6.	प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग (स्कूल शिक्षा)	सदस्य
7.	प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, आयोजना विभाग	सदस्य
8.	प्रबन्ध निदेशक, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि0	सदस्य
9.	आयुक्त, आबकारी विभाग	सदस्य
10.	आयुक्त/शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।	सदस्य
11.	प्रबन्ध निदेशक,राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम,	सदस्य
12.	निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग	सदस्य
13.	संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान	सदस्य
14.	आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक छः माह में एक बार आयोजित की जायेगी। उक्त समिति समय–समय पर नवजीवन योजनान्तर्गत बजट आवंटन, बजट व्यय, आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति आदि की समीक्षा एवं नवजीवन योजना में संशोधन की आवश्यकता होने पर राज्य सरकार को इस हेतु सुझाव प्रदान करेगी।

5. जिला कार्यकारी समिति का गठनः–

(1) जिला कार्यकारी समिति का गठन निम्न प्रकार होगाः–

1. जिला कलक्टर– अध्यक्ष
2. जिला पुलिस अधीक्षक–सदस्य
3. जिले में प्रभावित क्षेत्र के विधायक
4. जिले में प्रभावित क्षेत्र के नगर निकायों के सभापति
5. जिले में प्रभावित पंचायत समितियों के प्रधान–सदस्य
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद–सदस्य
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी–सदस्य
8. महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र–सदस्य
9. परियोजना प्रबंधक, अनुजा निगम–सदस्य
10. जिला शिक्षा अधिकारी–सदस्य(प्रारभिक/माध्यमिक)
11. जिला आबकारी अधिकारी– सदस्य
12. जिला श्रम अधिकारी– सदस्य
13. जिला नियोजन अधिकारी– सदस्य
14. लीड बैंक ऑफिसर–जिला अग्रणी बैंक – सदस्य
15. प्रबंध निदेशक–केन्द्रीय सहकारी बैंक – सदस्य
16. जिला कलक्टर द्वारा नामित क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित दो स्वयंसेवी संस्थाए– सदस्य
17. जिला कलक्टर द्वारा नामित दो सामाजिक कार्यकर्ता, जो पात्र जातियों से संबंधित हों–सदस्य
18. चिन्हित/प्रभावित शहरी निकाय के कार्यकारी अधिकारी– सदस्य
19. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी– सदस्य सचिव

(2) जिला कार्यकारी समिति की बैठक त्रैमासिक आयोजित की जायेगी। आवश्यकता होने पर इससे पूर्व भी बैठक आयोजित की जा सकती हैं।

(3) जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक में योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यो (यथा चिन्हीकरण, शिक्षा, प्रशिक्षण, आधारभूत संरचना विकास, ऋण/अनुदान आदि) का अनुमोदन करवाया जायेगा। स्वीकृति जारी करने का कार्य विभागीय जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

6. योजना की क्रियान्वितिः–

1. **जिला कार्यकारी समिति का कार्यः**– जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक में योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यो का अनुमोदन करवाया जावेगा। यह समिति योजना की समीक्षा, निर्देशन एवं समन्वय का कार्य भी करेगी।

2. **जिलाधिकारी के कार्यः**– कार्यकारी समिति के अनुमोदन पश्चात् स्वयं सेवी संस्था को कार्य आदेश जारी करना, स्वंय सेवी संस्था के द्वारा किये गये कार्यो का भौतिक सत्यापन करवाकर संस्था को भुगतान की कार्यवाही करना एवं आधारभूत संरचना से संबंधित कार्य कार्यकारी ऐजेन्सी यथा पंचायत राज्य संस्था/स्थानीय निकाय आदि द्वारा कराये गये विकास/निर्माण कार्यो का भौतिक सत्यापन कराकर भुगतान की कार्यवाही करना। समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करना, योजना के मासिक प्रगति आंकड़े एकत्रित करना, योजना के कियान्वयन में आ रही कठिनाई को समिति के समक्ष रखना,समिति की बैठक आयोजन एवं कार्यवाही विवरण जारी करवाना। निदेशालय एवं अन्य विभागों से तालमेल रखना, समय–समय पर आवंटित बजट का सदुपयोग करना, एनजीओ/निर्माण संबंधी कार्यकारी ऐजेन्सी द्वारा किये गये कार्यो का समय–समय पर पर्यवेक्षण करना/कराना।
3. **स्वंय सेवी संस्था का कार्यः**– कार्य आदेश मिलने के पश्चात् वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करना। बैठकों में भाग लेना तथा मासिक प्रगति विवरण प्रस्तुत करना,राजकीय विभागों से समन्वय कर योजना को प्रभावी ढंग से लागू करना, लक्षित समुदाय से नियमित पारस्परिक सम्पर्क रखना, योजना के प्रावधान अनुसार प्रेरको का चयन एवं अधिकृत करना, वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना व उपयोगिता प्रमाण पत्र जिलाधिकारी को समय पर प्रस्तुत करना।
4. **प्रेरको की अधिकृतिः**– योजना के दिशा निर्देशो के बिन्दु संख्या 6 (1) में उल्लेखित जिला कार्यकारी समिति की अभिशंषा के पश्चात् जिलाधिकारी एनजीओ को योजना से संबंधित कार्य आदेश जारी करेंगे। संबंधित एनजीओ आवंटित क्षेत्र में योजनान्तर्गत कार्यो के लिये प्रेरक अधिकृत करेगी तथा उन्हे परिचय पत्र जारी करेगी। इसकी जानकारी जिलाधिकारी क्षेत्र के विकास अधिकारी, प्रधान, संरपच, ग्राम सेवक अथवा स्थानीय निकाय के अध्यक्ष, आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी को प्रेषित करेगें ताकि प्रेरक को कार्य करने में कोई असुविधा ना हों।
5. **आधारभूत संरचना विकास हेतु कार्यकारी ऐजेन्सी के कार्यः**– योजना अन्तर्गत आधारभूत कार्यो के लिये तकमीना/प्रस्ताव तैयार करना। आधारभूत संरचना के जिला स्तर से जारी आदेश के कम में कार्य प्रारम्भ करना, निर्माण कार्यो की गुणवता सुनिश्चित करना,समय–समय पर जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अनुसरण में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

योजना को सर्वे/चिन्हीकरण,प्रचार –प्रसार एवं वातावरण निर्माण,बच्चों को शिक्षा, छात्रवृति से जोडना, प्रशिक्षण, ऋण पर ब्याज अनुदान तथा आधारभूत संरचना विकास एवं आदर्श बस्तियों का विकास,फोलोअप आदि चरणों में चरणबद्व तरीके से लागू किया जायेगा।

7. सर्वे/चिन्हीकरण , प्रचार–प्रसार/वातावरण निर्माण तथा फोलोअपः–

(अ) सर्वे/चिन्हीकरणः– अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त व्यक्तियों /समुदायों के क्षेत्र, जनसंख्या आदि का चिन्हीकरण जिला कार्यकारी समिति के निर्देशानुसार स्वयं सेवी संस्थाओं (NGO) के प्रेरकों के माध्यम से कराया जायेगा।

(1) सर्वे/चिन्हीकरण आवश्यकतानुसार प्रति वर्ष करवाया जायेगा। सर्वे/चिन्हीकरण प्रतिष्ठित एवं अनुभवी पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जिला कार्यकारी समिति के चयन/अनुमोदन उपरान्त करवाया जायेगा। स्वयंसेवी संस्थायें नवजीवन योजनान्तर्गत पात्र समुदायों/परिवारों में से उचित व्यक्तियों का चयन प्रेरक के रूप में करेगी तथा उक्त प्रेरकों के माध्यम से सर्वे कार्य कराया जायेगा। प्रेरक कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। उच्च शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा कार्य में रूचि रखने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जावे।

(2) सर्वे/चिन्हीकरण परिवार के अनुसार किया जावे। सर्वे निर्धारित प्रश्नावली परिशिष्ठ–1 के अनुसार प्रेरकों के माध्यम से करवाया जायेगा। समेकित सर्वे रिपोर्ट का प्रारूप परिशिष्ठ–2 के अनुसार होगा। संबंधित स्वयंसेवी संस्था द्वारा समस्त डाटाबेस का कम्प्यूटरीकरण कर जिला कार्यालय के कम्प्यूटर में अपलोड करवाया जायेगा।

(3) पूर्व वर्षो में किये गये सर्वे/चिन्हीकरण के डाटा का कम्प्यूटीकरण जिला कार्यालय द्वारा करवाया जायेगा।

(4) सर्वे रिपोर्ट का अनुमोदन जिला कार्यकारी समिति से करवाया जाना आवश्यक है।

(ब) प्रचार–प्रसार एवं वातावरण निर्माणः– व्यवसाय के दुष्प्रभावों और जीविकोपार्जन के लिए वैकल्पिक आजीविकाएं अपनाने, बच्चों को शिक्षा से जोड़ने एवं आवास स्थल पर स्वस्थ रूप से रहने एवं जीवन यापन के लिए निम्न तरीकों से प्रोत्साहित किया जायेगाः–

1. सभाएं आयोजित कर,
2. मल्टीमीडिया का प्रदर्शन कर,
3. नुक्कड़ नाटक आयोजित कर और स्व–प्रेरणा/प्रोत्साहन के फलस्वरूप अवैध शराब के व्यवसाय से विमुख हुए व्यक्तियों का सार्वजनिक रूप से उदाहरण प्रस्तुत कर।
4. प्रेरकों द्वारा समुदाय/परिवार/व्यक्तियों से सम्पर्क कर विभिन्न प्रेरणादायी माध्यमों से प्रेरित कर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।

(स) **विभिन्न योजनाओ से जोड़ना तथा फोलोअपः**– स्वंयसेवी संस्थाओं द्वारा प्रेरकों के माध्यम से पात्र परिवारों को विभिन्न विभागों द्वारा संचालित राजकीय योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जायेगा तथा साथ ही शिक्षा, प्रशिक्षण, ऋण आदि योजनाओं से जुड़ने के पश्चात् फोलो–अप भी प्रेरकों के माध्यम से करवाया जायेगा। प्रेरकों द्वारा लक्षित समूह की परिशिष्ठ–3 में ट्रेकिंग की जायेगी।

(द) **बजट राशिः**– बिन्दु (अ), (ब) व (स) के कार्य–सम्पादन हेतु स्वयंसेवी संस्थायें अपनी कार्ययोजना एवं बजट प्रस्ताव जिला कार्यकारी समिति को प्रस्तुत करेंगी, जिन्हें समिति युक्तियुक्त आधार पर अनुमोदित करेगी। स्वयंसेवी संस्था/संस्थाओं को जिला कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित बजट राशि अथवा अधिकतम 4.00 लाख रूपये (जो भी कम हो) प्रतिवर्ष अनुदान देय होगा। प्रति जिला कार्यालय इससे अधिक राशि की आवश्यकता होने पर आयुक्त/निदेशक,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को बजट हेतु मॉग करनी होगी। उक्त वर्णित राशि में जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यय, सेमीनार, कार्यशाला, डाटा कम्प्यूटरीकरण एवं प्रचार–प्रसार हेतु अधिकतम 1.00 लाख रूपये व्यय की जा सकती है।

(य) **राशि का भुगतान** :– स्वंयसेवी संस्थाओं को राशि का भुगतान त्रैमासिक रूप से पूर्ण किये गये कार्य के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

8. प्रेरक का कार्यः–

1. स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा प्रेरकों को सर्वे/चिन्हीकरण एवं फोलोअप तथा निम्नानुसार कार्य करवाये जायेगें:–

क्र.सं.	कार्य
1.	सर्वे ग्राम/बस्तीवार
2.	बच्चो को शिक्षा से जोड़ना
	छात्रवृति दिलाना
	आगामी वर्ष में फोलोअप
	दूसरे वर्ष में फोलोअप
3.	प्रशिक्षण दिलवाना
	प्रशिक्षण के पश्चात् व्यवसाय हेतु ऋण प्रकिया से जोड़ना
	स्वरोजगार का फॉलोअप एवं सामाजिक उत्थान प्रथम वर्ष
	स्वरोजगार का फॉलोअप एवं सामाजिक उत्थान द्वितीय वर्ष
	स्वरोजगार का फॉलोअप एवं सामाजिक उत्थान तृतीय वर्ष (मय रिपोर्ट)
4.	बैक से जोड़ना
	भामाशाह से जोड़ना
	आधार से जोड़ना
5.	किसी भी राजकीय स्कीम से जोड़ना/लाभान्वित कराना

2. स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रेरकों के माध्यम से किये गये कार्य और सम्पादित किये गये अन्य कार्यो की विस्तृत रिपोर्ट एवं किये गये व्यय के आंकड़ों की रिपोर्ट विभागीय जिला कार्यालयों में प्रस्तुत करनी होगी।
3. स्वयं सेवी संस्था को राशि कार्य परिणाम के आधार पर स्वीकृत की जायेगी। संस्था द्वारा किये गये कार्य का कार्यवार विवरण प्रस्तुत करना होगा।
4. स्वंय सेवी संस्था द्वारा प्रेरक के कार्य हेतु देय राशि का निर्धारण अपने स्तर पर किया जायेगा एवं इसे अपने प्रस्ताव में शामिल किया जायेगा।

9. कौशल प्रशिक्षणः—

1. नवजीवन योजनान्तर्गत सभी प्रकार के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना (मैन पावर) विभाग के आदेश कमांक एफ 9 (2) प्लान/एमपी/7/2014 दिनांक 07—11—2014 एवं आदेश दिनांक 17—09—2015 के अनुसरण में राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम (RSLDC) के माध्यम से कराये जाऐगे।

2. कौशल प्रशिक्षण हेतु इच्छुक/पात्र व्यक्तियों का चयन सर्वे/चिन्हीकरण के दौरान किया जाकर संभावित अभ्यार्थियो की सूची जिलाधिकारी द्वारा RSLDC के जिला कार्यालय को परिशिष्ठ—4 में तैयार कर उपलब्ध कराई जायेगी तथा RSLDC से सहमति अनुसार प्रशिक्षण लक्ष्य एवं दिशा—निर्देश तैयार किये जायेगे।

3. प्रत्येक जिले से उनके जिले में प्रचलित/पारम्परिक तथा व्यवसायोन्मुख जिसकी स्थानीय बाजार में मॉग हो तथा पर्याप्त आय अर्जन के अवसर उपलब्ध हो, उसी के अनुसार तीन—तीन ट्रेड के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किये जाने को प्राथमिकता दी जायेगी।

4. विभाग द्वारा राज्य स्तर पर RSLDC के साथ MOU किया जायेगा।

5. प्रशिक्षण हेतु आवश्यक राशि RSLDC को विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।

6. यदि किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है तो जिलाधिकारी एवं संबंधित RSLDC कार्यालय द्वारा उस प्रशिक्षण का पाठयक्रम एवं मॉडयूल निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रेषित किया जायेगा। तद्उपरान्त प्रशिक्षण पाठयक्रम का अनुमोदन सक्षम स्तर से करवाकर प्रशिक्षण की क्रियान्विति की जा सकेगी।

7. इस योजना के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण की अवधि में चयनित व्यक्ति/महिला को प्रतिमाह 2000/— रू. की वृत्तिका (Stipend) एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन माह हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालयों के माध्यम से दी जावेगी।

10. वैकल्पिक रोजगारों से जोड़ना तथा बैकों से ऋण उपलब्ध करवाकर ऋण पर ब्याज अनुदान राशि स्वीकृत करनाः–

नवजीवन योजनान्तर्गत समुदायों/परिवारों के प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को वैकल्पिक रोजगारों से जोड़ने हेतु प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओ द्वारा विभिन्न संस्थानो में प्लेसमेन्ट देने की कार्यवाही की जावेगी साथ ही स्वरोजगार हेतु इन्हे संबंधित बैक/विभाग से ऋण पर ब्याज अनुदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

(अ). राज्य स्तरीय बैकर्स कमेटी द्वारा जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धकों को जिलावार ऋण के लक्ष्य आवंटित किये जायेगें।

(ब). जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धकों द्वारा जिले के बैकों को नवजीवन योजनान्तर्गत पात्र समुदायों/व्यक्तियों की जनसंख्या, प्रशिक्षण की स्थिति को ध्यान में रखते हुये जिला कार्यकारी समिति/जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में विचार–विमर्श कर बैंकवार ऋण के लक्ष्य आवंटित किये जायेंगे।

(स) नवजीवन योजना को जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक के स्थायी ऐजेण्डे में सम्मिलित किया जायेगा।

(द) **ऋणदाता संस्थाएँः–**

उपर्युक्त चरणों के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके लाभार्थियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास एवं सहकारी निगमों के द्वारा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा एवं ब्याज अनुदान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(य) **ऋण ब्याज दर पर अनुदान राशि का भुगतानः–**

1. बिन्दु संख्या 10 (द) में उल्लेखित संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके लाभार्थियों को परियोजना इकाई लागत के अनुसार अनुसूचित जाति/ जनजाति/ सफाई कर्मचारी/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्प संख्यक/राष्ट्रीय विकलांग, वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड की योजनाओं के अन्तर्गत अन्य वित्तीय संस्थानों (बैंक आदि) के द्वारा उक्त लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
2. स्वीकृत ऋण पर ब्याज अनुदान राशि का आधार लाभार्थी को वसूले जाने वाले ब्याज पर राहत देना एवं समय पर ऋण राशि की वापसी किये जाने हेतु प्रोत्साहित करना है।

3. स्वीकृत ऋण पर निम्नानुसार ब्याज राशि को अनुदान के रूप में लाभार्थी के ऋण खाते में जमा करने हेतु सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था को भुगतान हेतु स्वीकृत की जायेगीः–

क्र.सं.	ऋण राशि	लाभार्थी द्वारा देय ब्याज	सान्याअवि द्वारा प्रदत्त ब्याज पर अनुदान
1	रूपये 50,000तक	1प्रतिशत	शेष ब्याज दर
2	रूपये 50,000से 2.00लाख तक	2प्रतिशत	शेष ब्याज दर
3	रूपये 2.00लाख से 5.00लाख तक	4प्रतिशत	शेष ब्याज दर
4	रूपये 5.00लाख से अधिक	बैंक ब्याज दर	शून्य

1. ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) की राशि बैंक द्वारा मांग (Demand) किये जाने पर संबंधित बैंक को वार्षिक आधार पर भुगतान किया जायेगा।
2. वर्ष के अन्त में ब्याज की गणना कर संबंधित प्रार्थी के ऋण खाते में ब्याज अनुदान की राशि ऑनलाईन सीधे ही स्थानान्तरित की जायेगी।
3. ब्याज अनुदान उन्हीं लाभार्थीयों को दिया जायेगा जिन्होने प्रत्येक वर्ष में मूल एवं ब्याज समय पर तथा निरन्तर रूप से भुगतान किया हैं।
4. ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा 50,000/– रूपये तक प्रति लाभार्थी होगी।

11. पात्र परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़नाः–

(अ) पात्र परिवारों के चिन्हित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के बच्चों को शैक्षणिक विकास हेतु विभाग द्वारा पूर्व से ही संचालित छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।

(ब) उक्त चिन्हित लाभार्थियों के बच्चों को शैक्षणिक विकास हेतु उन्हें संबंधित अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के विभागीय छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा।

(स) माध्यमिक व उच्च शिक्षा में अध्ययनरत उक्त परिवारों के छात्र/छात्राओं को व्यवसायोन्मुखी पाठ्यक्रमों जैसे पीएमटी, पीईटी, एमबीए, बीसीए, एमसीए आदि में प्रवेश के लिए कोचिंग हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त अनुदान कोचिंग की लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 15000 रू. (जो भी कम हो) होगा। यह अनुदान सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी परीक्षाओं में 60 प्रतिशत या अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को उपलब्ध होगा। इस योजना में लाभ लेने वाला विद्यार्थी सरकार द्वारा संचालित अन्य कोचिंग योजना में लाभ लेने का पात्र नहीं होगा।

(द) शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अन्तर्गत प्रवेशित 25 प्रतिशत छात्रो को निःशुल्क प्रवेश देने के पश्चात प्रवेश से शेष/वंचित रहे नवजीवन योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों के छात्रों को इस योजनान्तर्गत विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाकर इन छात्रों के अध्ययन हेतु शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के अन्तर्गत अनुज्ञेय राशि के अनुसार राशि का पुनर्भरण नवजीवन योजनान्तर्गत किया जायेगा।

(य) राजकीय शिक्षण संस्थाओ में भी अध्ययनरत विद्यार्थियो के लिए परिवहन व्यवस्था हेतु रूपये 2000/–(दस माह हेतु) प्रति विद्यार्थी की अधिकतम सीमा में परिवहन व्यय अनुमत किया जाता हैं। विभागीय जिलाधिकारी द्वारा इसका भुगतान संबंधित शिक्षण संस्थान के मार्फत किया जायेगा।

(र) प्रत्येक जिले में सर्वे कर वंचित विधार्थीयो को चिन्हित कर विधालय से जोड़ा जायेगा।

12. पात्र समुदायों एवं परिवारों/व्यक्तियों की बस्तियों/वासस्थान पर आधारभूत सुविधाओं का विकास एव आदर्श बस्तियों का विकासः–

(अ) सर्वे/चिन्हीकरण के समय ही ऐसे जनसंख्या समूहों/बस्तियों को परिशिष्ठ–5 के अनुसार सूचना प्राप्त कर चिन्हित किया जायेगा।

(ब) ऐसे चिन्हित क्षेत्र जहां अवैद्य मदिरा निर्माण में लिप्त कम से कम 10 परिवार अथवा 50 व्यक्तियों समूह के रूप में रह रहे हैं। जहॉ भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य योजनान्तर्गत कार्य नहीं हुआ हो आधारभूत सुविधायें विकसित करने हेतु कुल आवंटित बजट राशि की 40 प्रतिशत तक की राशि जिला कार्यकारी समिति की अनुशंषा के आधार पर खर्च की जा सकेगी। वहॉ उन बस्तियों में आवश्यकतानुसार निम्न कार्य प्राथमिकता से कराये जा सकेगें:–

1. पेयजल से सम्बन्धित समस्त कार्य यथा– टंकी निर्माण, पेयजल की लाईन का विस्तार, हैण्डपम्प, बोरवेल, नवीन पेयजल लाईन और टयूबबैल का विधुतीकरण।
2. सड़क (ग्रेवल/मैटल/डामर/सीमेन्ट/डब्ल्यू.बी.एम.) खरन्जा, सम्पर्क सड़क नाली निर्माण, पुलिया/रपट का कार्य।
3. तलाबो की सफाई/जल संरक्षण के कार्य/पारम्परिक जल स्त्रौतों के विकास कार्य।
4. पशुधन के लिये पीने के पानी की सुविधा।
5. समुदायिक भवन, धर्मशाला/वाल्मिकी भवन
6. विद्युतीकरण आदि
7. विद्यालय भवन, विद्यालय भवन की चारदीवारी, विद्यालय भवन का विस्तार, शौचालयों का निर्माण, अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण, खेल का मैदान।
8. सामुदायिक जलोत्थान की सिंचाई योजना।
9. उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण/पशु स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन का निर्माण।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त जिला कार्यकारी समिति के द्वारा अनुमोदित कोई भी कार्य।

11. आधारभूत संरचना विकास के कार्य में केवल आधारभूत संरचना से संबंधित विकास/निर्माण कार्य की आवश्यकता का आंकलन का सर्वे एनजीओ के माध्यम से किया जायेगा। तकमीना/प्रस्ताव बनाने एवं निर्माण कार्य कार्यकारी ऐजेंसी यथा जिला परिषद/यू.आई.टी./नगर पालिका/नगर निगम/पंचायत समिति/ सार्वजनिक निर्माण विभाग/जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी/पंचायतीराज विभाग/विद्युत निगम/राजकीय संस्थान एवं अन्य राजकीय विभाग के मार्फत से कार्य करवाने के लिये प्राप्त तकमीने के आधार एवं भूमि की उपलब्धता पर अधिकतम 50 प्रतिशत राशि अग्रिम अधिकतम 40 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर तथा शेष 10 प्रतिशत राशि कार्य पूर्ण के उपरान्त भुगतान की जायेगी।

(स) उक्त कार्यों की 50 प्रतिशत राशि कार्यकारी एजेन्सी द्वारा सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, नरेगा, सम्बल ग्राम विकास योजना, दानदाता, कार्यकारी संस्था, राष्ट्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/स्वच्छ भारत अभियान (NFC/SFC, SBA) द्वारा वहन की जायेगी।

(द) उक्त योजनाओं में या दानदाता/लाभार्थी समूह द्वारा राशि स्वीकृत करने/भुगतान करने की सहमति सम्बन्धित संस्था के माध्यम से प्राप्त होने व तकमीना प्राप्त होने पर शेष 50 प्रतिशत राशि नवजीवन योजनान्तर्गत स्वीकृत की जायेगी।

(य) राशि का भुगतान सम्बन्धित कार्यकारी ऐजेन्सी को उक्त योजनाओं/दानदाता/लाभार्थी समूह से प्राप्त होने पर शेष 50प्रतिशत राशि एक मुश्त कार्यकारी ऐजेन्सी को स्वीकृत कर भुगतान की जायेगी।

13. **प्रक्रिया:–**

इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति/परिवार के द्वारा निम्न प्रकार जिलाधिकारी को आवेदन (परिशिष्ठ–6) किया जाएगा:–

1. आवेदक/आवेदिका सादे निर्धारित प्रारूप में अपनी फोटो के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।
2. आवेदन के साथ उसके द्वारा धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
3. आवेदन पत्र में विशिष्ट वृत्ति, जिसका प्रशिक्षण आवेदक/ आवेदिका प्राप्त करना चाहता/चाहती है का उल्लेख किया जायेगा।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संबंधित तहसीलदार के द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
5. प्राप्त समस्त आवेदनो की समेकित रिपोर्ट जिलाधिकारी के द्वारा जिला कार्यकारी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जावेगी जिस पर जिला कार्यकारी समिति का अनुमोदन लेने के पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की जायेगी।

14. स्वयंसेवी संस्था :–

नवजीवन योजना में विभिन्न कार्य सम्पादन हेतु जुड़ने वाली संस्थाओं की पात्रता/शर्ते निम्नानुसार होगीः–

1. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 या राज्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन. अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो अथवा,
   तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत रजिस्टर्ड सार्वजनिक न्यास अथवा,
   कम्पनी अधिनियम, 1958 की धारा 525 के अन्तर्गत लाईसेंस प्राप्त धर्मार्थ कंपनी अथवा,
2. इसका विधिवत् रूप से एक प्रबंध निकाय गठित हो जिसकी शक्तियां, कर्तव्य व उत्तरदायित्व स्पष्टतः परिभाषित होने चाहिए तथा लिखित में निर्धारित होने चाहिए।
3. संगठन तीन वर्ष से पंजीकृत रहा हो एवं पंजीकृत दिनांक से अब तक किसी न किसी सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ हो।
4. यदि किसी संस्था के पास तीन वर्ष का अनुभव नहीं हो तो ऐसे नये संगठन/संस्था को कार्य दिया जा सकेगा जिसके कम से कम दो कार्यकारी व्यक्ति पूर्व में तीन वर्षों का इसी क्षेत्र में अनुभव रखते हो।
5. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो तथा संस्था को किसी भी योजना में ब्लेकलिस्ट/डीबार नहीं किया गया हो।

15. मूल्यांकनः–

विभाग द्वारा निदेशालय मूल्यांकन संगठन विभाग,जयपुर अथवा किसी स्वतंत्र ऐजेन्सी के माध्यम से 3 वर्ष के अन्तराल पर योजना का मूल्यांकन करवाया जायेगा। इस हेतु ऐजेन्सी/संस्था को आयुक्त/निदेशक,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के स्तर पर निर्धारित राशि का भुगतान किया जायेगा।

16. योजना कियान्वयन, मॉनिटरिंग एवं अनुदान/बजट प्रावधानः–

अ. निदेशालय, सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जिलाधिकारियों को आवश्यक बजट का आवंटन किया जायेगा।

ब. इस योजना के लिए वित्तीय स्रोत आबकारी राजस्व की एक प्रतिशत राशि होगी।

स. योजना के कियान्वयन की सतत् मॉनिटरिग निदेशालय में निदेशक एवं योजना के नोडल अधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा की जायेगी।

योजना में उल्लेखित विभिन्न घटकों में जिला स्तर पर बजट व्यय का अनुपात निम्नानुसार रहेगाः–

क्र.सं.	घटक	बजट का प्रतिशत
1.	सर्वे, प्रचार प्रसार एवं फोलोअप	15 प्रतिशत
2.	प्रशिक्षण एवं ऋण अनुदान	30 प्रतिशत
3.	शिक्षा	15 प्रतिशत
4.	आधारभूत संरचना विकास	40 प्रतिशत

स्थानीय आवश्यकता तथा जिले की परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुये जिला कार्यकारी समिति उक्त आवंटन प्रतिशत में परिवर्तन कर सकती हैं।

17. नवजीवन योजनान्तर्गत स्थानीय नवाचारः–

जिले में लक्षित समूह की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार जिला कार्यकारी समिति/जिला कलक्टर द्वारा कोई कार्य योजना/विशेष योजना/नवाचार कार्यक्रम संचालित किया जाना आवश्यक हो तो सम्पूर्ण रिपोर्ट एवं वित्तीय भार का आंकलन करते हुये स्वीकृति हेतु निदेशक/आयुक्त को भिजवायी जायेगी। निदेशक/आयुक्त द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् सम्बन्धित जिला कलक्टर को क्रियान्वयन हेतु भिजवायी जायेगी।

18. दिशा–निर्देशों में शिथिलताः–

योजना में नवीन जाति/समुदाय जोड़ने की आवश्यकता होने पर उस जाति/समुदाय की जनसंख्या,शैक्षणिक,सामाजिक,आर्थिक स्थिति एवं अवैध शराब में लिप्त होने की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर राज्य सरकार से अनुमोदन उपरान्त नवीन जाति/समुदाय को जोड़ने का निर्णय किया जायेगा।

इन दिशा–निर्देशों में किसी भी प्रकार की शिथिलता राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना नहीं दी जायेगी। इन दिशा–निर्देशों की व्याख्या निदेशक/आयुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जाएगी जो अन्तिम एवं बंधनकारी मानी जायेगी।

यह संशोधित नियम विभाग के आदेश कमांक' 22648 दिनांक 17–3–2011,आदेश कमांक 12099 दिनांक 23–02–12, आदेश कमांक 22052 दिनांक 4–3–13, आदेश कमांक 19161 दिनांक 14–3–12, आदेश कमांक 56761 दिनांक 12–7–13, आदेश कमांक 60492 दिनांक 8–8–2013, आदेश कमांक 43121–53 दिनांक 15–5–13 एवं आदेश कमांक 49897 दिनांक 13–6–13 को अतिकमित कर जारी किये जा रहे है।

(रवि जैन)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रारूप परिशिष्ठ–1

नवजीवन योजना के अन्तर्गत सर्वे प्रपत्र सत्र.....

सर्वे दिनांक..... सर्वे प्रपत्र

ग्राम.....
तहसील.....
जनसंख्या.....
जाति.....
व्यवसाय.....
दूरभाष संख्या.....
बस्ती का नाम.....

1 परिवार के मुखिया का नाम.....
2 परिवार के मुखिया का पताः–म.नं.....
3 परिवार के अन्य सदस्यो का विवरणः–

क्र.सं.	परिवार के सदस्य का नाम	उम्र	लिंग	शैक्षणिक योग्यता	अवैध शराब के निर्माण/भण्डारण में लिप्त होने की जानकारी	शराब व्यापार/विक्रय में लिप्त होने की जानकारी	अन्य कोई नशे का आदि	वि. वि.
1								
2								
3								
4								
5								
6								

4 रहवासीय आवास का विवरण एवं परिवार के सदस्यो की संख्या.....
1. कमरो की संख्या..... 2. मकान की स्थिति.....
3. कच्चा/पक्का..... 4.क्या बाथरूम/लैट्रीन की सुविधा हैं, हॉ/नही

1 परिवार के सदस्यो के व्यवसाय का विवरण(अधिकतम 100 शब्दो में)
.....

2 अनुमानित वार्षिक आमदनी वर्तमान व्यवसाय सेः–
(आमदनी की जानकारी परिवार के मुखिया एवं सदस्यो से प्राप्त की जावें एवं सर्वे पर अपना अनुमान भी सम्मिलित करें)

3 क्या परिवार वर्तमान व्यवसाय से मुक्त होना चाहता है, हॉ/नही
4 यदि परिवार व्यवसाय से मुक्त होना चाहता है, तो वैकल्पिक व्यवस्थाः–
अ ————————————
ब ————————————

5 परिवार वर्तमान व्यवसाय से मुक्त होने हेतु राज्य सरकार से किस प्रकार की और कितनी सहायता चाहता हैः–
.....

6 विशेष विवरण स्वंय सेवी संस्था द्वाराः—

परिवार के सदस्य का विवरण यदि किसी के विरूद्व अवैध शराब अथवा अन्य आपराधिक प्रकरण दायर हुआ है।

क्र.सं.	नाम सदस्य	अवधि कितने वर्ष पूर्व प्रकरण दायर हुआ।	किस अधिकारी द्वारा प्रकरण दायर करवाया गया।
1			
2			

नवजीवन योजना में प्रशिक्षण लेने वाले परिवार के सदस्यो की सूचीः—

क्र.सं.	नाम सदस्य	पुरूष/महिला	व्यवसाय का नाम जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त किया।
1			
2			

परिवार में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों का विवरणः—

क्र.सं.	नाम सदस्य	आयु	कक्षा एवं शिक्षण संस्थान का विवरण
1			
2			

नवजीवन योजना में शिक्षा से वंचित बच्चो की सूचीः—

क्र.सं.	नाम सदस्य	आयु	पूर्व में यदि कोई अध्ययन किया हो तो उसका विवरण।
1			
2			

किसी राजकीय योजना में लाभ लिया है, तो उसका विवरणः—

क्र.सं.	नाम सदस्य	राजकीय योजना का नाम जिसमें लाभ लिया है	लिये गये लाभ का विवरण
1			
2			

कार्यकर्ता का नाम व हस्ताक्षर **प्रमाणित** मुखिया का नाम व हस्ताक्षर

ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत/
आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,नगर निकाय या इनका प्रतिनिधि

परिशिष्ठ–2

नवजीवन योजना अन्तर्गत परिवार के सर्वे की परिवारवार सूची

परिवार के मुखिया का नाम	पता	मोबाईल नम्बर	जाति / वर्ग	व्यवसाय	आवासकी स्थिति कच्चा / पक्का	परिवार में सदस्यों की संख्या	शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या	प्रशिक्षण हेतु इच्छुक सदस्यो की संख्या

परिशिष्ट–4

नवजीवन योजना में प्रशिक्षण हेतु इच्छुक व्यक्तियों की सूची:–

परिवार के मुखिया का नाम	पता	जाति	प्रशिक्षण के इच्छुक व्यक्ति का नाम	मुखिया से संबंध	शिक्षा	उम्र/ जन्मतिथि	ट्रेड का नाम जिसमें प्रशिक्षण लेने का इच्छुक हैं

परिशिष्ट–5

नवजीवन योजनान्तर्गत पात्र समुदायो/परिवारो/व्यक्तियों के वास स्थान/बस्ती में आधारभूत संरचना विकास कार्य करवाने हेतु सर्वे प्रपत्र

बस्ती/मौहल्ला..... ग्राम..... ग्राम पंचायत.....

तहसील..... प. समिति..... उपखण्ड.....

बस्ती में नवजीवन योजनान्तर्गत पात्र परिवारों की समुदायवार संख्या

.....

वर्तमान आधारभूत सुविधओं की स्थितिः– सडक, बिजली, पानी, जनस्वास्थ्य, स्वास्थ्य सुविधा, विधालय, सामुदायिक भवन आदि की स्थिति, शौचालयों की स्थिति.....

आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विवरण, जिन्हे नवजीवन योजना में स्वीकृत किया जाना हैं:–

क्र.संख्या	नाम कार्य	अनुमानित राशि	कार्यकारी एजेन्सी का नाम
1			
2			
3			
4			

परिशिष्ठ–6

आवेदन–पत्र

सेवा में,

..... (जिलाधिकारी)

.....

महोदय,

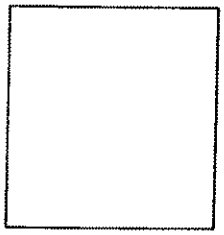

मैं नवजीवन योजनान्तर्गत निम्न वर्णित योजना में लाभ प्राप्त करने का इच्छुक हूँ। मेरा व्यक्तिगत विवरण इस प्रकार है :–

1. नाम :– .....
2. आयु :– .....
3. जाति :– .....
4. पिता/पति का नाम :– .....
5. स्थाई पता :– .....
6. शैक्षणिक योग्यता :– .....
7. पारिवारिक आमदनी :– .....
8. योजना/प्रशिक्षण पाठ्क्रम का नाम जिसमें आप प्रशिक्षण प्राप्त करने/लाभ लेने के इच्छुक हैं .....
9. इस योजना/दक्षता/कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को चुनने के विशिष्ठ कारण .....
10. प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैने नवजीवन योजनान्तर्गत संचालित किसी अन्य प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया है।

हस्ताक्षर

शपथपत्र

मैं .... शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैं न तो नशा करूँगा और न ही नशे को बढ़ावा देने वाली कार्यवाही में शामिल होउँगा। मैं और मेरा परिवार अवैध शराब के निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय में किसी प्रकार शामिल नहीं होउँगा।

हस्ताक्षर

स्थान .....

दिनांक .....